प्रेषक,

नीलेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ00,
लखनऊ

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज अलीगढ़ के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041-बजट/प्लान/14-15/ 13161, दिनांक 03.11.14 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-1049/71- आयुष-2-2013-9 (बी0)/07, दिनांक 31.05.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 8739.65 लाख (बैठक दिनांक 16.10.2014 का कार्यवृत् संलग्न) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना योजना में उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 1253.45 लाख (रू0 बारह करोड़ तिरपन लाख पैतालीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जानें की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य कराया जाय।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, होम्योपैथी/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था की होगी।
3. प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्ययोजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।
4. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है। उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। निदेशक, होम्योपैथी यह भी सुनिश्चित करेगें कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नही हो रही है।
5. प्रयोजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
7. प्रस्तावित बॉट आउट आइटम्स श्रेणी के कार्यमदों पर व्यय सुसंगत वितीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
8. प्रश्नगत कार्य हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.10.2014 में दिये गये शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.7.2014 में निर्धारित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83- लेखाशीर्षक- "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना- 24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-281, दिनांक 09 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:- 15/2015/214(1)/71-आयुष-2-2015/ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिलाधिकारी, अलीगढ़।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- निदेशक/महाप्रबन्ध सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0, जल निगम , लखनऊ ।
6- जिला हेाम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अलीगढ़।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।